उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-133/2018/1823/71-1-2018-पी0एफ0-60/1999
लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव, सर्जन, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-970/71-1-2005-ग-39/2004, दिनॉक 17-03-2005 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव को कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 06-05-2010 द्वारा मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध मेडिकल कालेज, गोरखपुर को सर्जरी विभाग में रिक्त सहआचार्य के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर 01 वर्ष से अनाधिक अवधि अथवा अग्रेतर आदेशों तक के लिए पदनामित/तैनात किया गया था।

2- कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 26-05-2003 के आधार पर डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव, सहआचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर की सेवा स्थानान्तरण अवधि आगे बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। अत: प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त डा0 संदेश कुमार श्रीवास्तव, सहआचार्य, सर्जरी विभाग, मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को एतद्द्वारा उनके मूल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वापस किया जाता है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या:-133/2018/1823(1)/71-1-2018- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
7- चिकित्सा अनुभाग-3
8- कोषाधिकारी, गोरखपुर/कन्नौज।
9- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।